



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 19 मार्च, 1986

फाल्गुन 28, 1907 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 660 / सत्रह-वि-1-1(क)4-1986

लखनऊ, दिनांक 19 मार्च, 1986

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान”के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रीट, डीजल आयल तथा अल्कोहल विक्री-कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 19 मार्च, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1986 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर स्पिरिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन)  
अधिनियम, 1986

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1986)

(जिसका उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त मोटर स्पिरिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का  
अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्पिरिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा।

(2) यह 1 दिसम्बर, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्त  
अधिनियम  
संख्या 1 सन्  
1939 की धारा  
3 का संशोधन

2--संयुक्त प्रान्त मोटर स्पिरिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, शब्द "आठ प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "दस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

निरसन और  
अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश मोटर स्पिरिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर  
प्रदेश  
संघ  
सन्

आज्ञा से,  
श्रीनाथ सहाय,  
सचिव।

No. 660(2)/XVII-V-1-1 (KA) 4-1986

Dated Lucknow, March 19, 1986

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Spirit, Diesel Oil Tatha Alcohol Bikri-Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1986) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 19, 1986.

THE UTTAR PRADESH SALES OF MOTOR SPIRIT, DIESEL OIL  
AND ALCOHOL TAXATION (AMENDMENT) ACT, 1986

(U. P. ACT no. 6 OF 1986)

[As passed by the U. P. Legislature]

AN  
ACT

further to amend the U. P. Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol  
Taxation Act, 1939

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-seventh Year of the Republic of India  
as follows :—

Short title and  
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sales of Motor  
Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Act, 1986.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 1, 1985.

2. In section 3 of the U. P. Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the words "eight per cent" the words "ten per cent" shall be substituted.

Amendment of section 3 of U. P. Act no. 1 of 1939

3. (1) The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Ordinance, 1985; is hereby repealed.

Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,  
S. N. SAHAY,  
Sachiv.

का

बिक्री

नियम,  
में,

धन) उत्तर  
प्रदेश  
संघ  
सन्  
यथा-  
सोधित  
इस

।

ndia,  
of  
lhan)  
ttar

DIL

iol

ndia

otor

185.